



UPUN010035302026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

जमानत प्रार्थना-पत्र सं०-1479/2026

आशाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद निवासी ग्राम अभिलिहा खेड़ा मजरा मवई थाना मौरावां जिला उन्नाव।

-----अभियुक्त।

प्रति

सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव।

-----विपक्षी।

12.06.2026

अभियुक्त आशाराम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-156/2026, धारा-80(2),85 बी0एन0एस0 एवं धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना मौरावां जिला उन्नाव में जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजेश पुत्र स्व० चन्द्रपाल निवासी ग्राम वैसनखेडा मजरा गुलरिहा थाना मौरावां जनपद उन्नाव ने दिनांक 01.05.2026 को इस आशय की तहरीर थानाध्यक्ष मौरावां को दी कि उसने अपनी पुत्र अंशिका की शादी 17 नवम्बर 2025 को अजय पुत्र आशाराम निवासी इमिलिहन खेडा मजरा मवई थाना मौरावां के साथ दान दहेज के साथ हुआ था, परन्तु आये दिन लड़की के ससुराल पक्ष के शिव देवी पत्नी आशाराम, आशाराम पुत्र अज्ञात व अजय पुत्र आशाराम उसकी पुत्री को और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते रहते थे, परन्तु प्रार्थी गरीब व असहाय होने कारण उक्त लोगो की मांग को पूरा नहीं कर पाये। इसी बात को लेकर पुत्री ससुराल जन शिव देवी आशाराम अजय व कुछ अन्य अज्ञात लोगो ने मिलकर 29.04.26 की रात में उसकी पुत्री को मारकर के फौसी के फन्दे से लटका दिया। अतः निवेदन है कि शिव देवी, आशाराम, अजय व अन्य अज्ञात लोगो के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने कृपा करें।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखे तथ्य झूठे एवं बेबुनियाद हैं। प्रार्थी मृतका अंशिका का ससुर है। प्रार्थी ने शादी के बाद से अंशिका को कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट नहीं की है, न ही शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। प्रार्थी की बहू अंशिका ससुराल में हमेशा खुश रही है। अंशिका द्वारा घटना के पूर्व कहीं भी कोई प्रार्थना पत्र मारपीट या दहेज उत्पीड़न का नहीं दिया गया है। प्रार्थी वृद्ध व्यक्ति है जो खेती किसानी का कार्य करता है और ज्यादातर फसलों की देखरेख हेतु खेत पर ही रहता है। प्रार्थी की बहू अंशिका घटना के पूर्व अपने मायके गयी थी। अंशिका के मायके वालों ने उसको बहुत मानसिक कष्ट दिया था, जिसका जिक्र अंशिका ने स्वयं किया था और कह रही थी कि वह अपने मायके कभी नहीं जायेगी और वह अपने मायके वालों से बहुत परेशान हो गयी है। अंशिका की शादी का समस्त स्त्रीधन उसके मायके वालों ने रख लिया था, जिसकी अंशिका मांग करती थी जिसको लेकर अंशिका व उसके मायके वालों के मध्य विवाद होता था, जिससे अंशिका काफी तनाव में रहती थी। अंशिका ने अपने मायके वालों से परेशान होकर स्वयं उक्त घटना को अंजाम दिया है। प्रार्थी व उसके घर वालों के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 02.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। उसका कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में

विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। उक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। उसको मृतका का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है। उसने शादी के बाद से मृतका को कभी भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया है। वह वृद्ध व्यक्ति है। उसकी बहू अंशिका घटना के पूर्व अपने मायके गयी थी। मृतका के मायके वालों ने उसको बहुत मानसिक कष्ट दिया था, जिसका जिक्र मृतका ने स्वयं किया था और कह रही थी कि वह अपने मायके कभी नहीं जायेगी और वह अपने मायके वालों से बहुत परेशान हो गयी है। मृतका की शादी का समस्त स्त्रीधन उसके मायके वालों ने रख लिया था, जिसकी मृतका मांग करती थी, जिसको लेकर मृतका व उसके मायके वालों के मध्य विवाद होता था, जिससे अंशिका काफी तनाव में रहती थी। मृतका ने अपने मायके वालों से परेशान होकर स्वयं उक्त घटना को अंजाम दिया है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त व सहअभियुक्त गण द्वारा मृतका से अतिरिक्त दहेज के रूप में अपाचे मोटरसाइकिल की मांग करके शारीरिक एवं मानसिक रूप प्रताड़ित करता था और उक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर दि० 29.04.2026 की रात को फाँसी पर लटका कर उसकी दहेज हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार "LIGATURE MARK OF SIZE 22CM X 2.5CM PRESENT IN-FRONT OF NECK, BELOW CHIN, ABOVE THYROID CARTILAGE, GOING BACKWARD OBLIQUELY INTERRUPTED 7CM BELOW LEFT SIDE OF MANDIBLE. MARK IS PRESENT 5CM BELOW FROM RIGHT EAR, 2CM BELOW CHIN AND JUST BELOW THE LEFT EAR. BASE OF GROOVE IS BROWN HARD AND PARCHMENT LIKE, MARGINS ARE ABRADED. ON CUTTING SUBCUTANEOUS TISSUE UNDERNEATH LIGATURE MARK IS WHITE HARD AND GLISTENING." की चोटें पाई गयी है तथा उसकी मृत्यु का कारण Asphyxia due to antemortem hanging बताया गया है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु उसके ससुराल के घर में शादी से लगभग साढ़े पांच महीने के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त आशाराम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-156/2026, धारा-80(2), 85 बी०एन०एस० एवं धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना मौरावां जिला उन्नाव के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1479/2026 निरस्तर किया जाता है।

दिनांक-12.06.2026
बृजपाल सिंह

(अनिल कुमार वर्मा-प्रथम)
आई०डी०न०-यू०पी०-6552
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।